न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–**2 / 2022** दायर दिनाँक **03.01.2022**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. रूस्तम पुत्र ईशाक उम्र 60 वर्ष जाति देशवाली निवासी अमरपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. मासेल्ला पुत्री मुमताज 2. मो. सवालीत पुत्र मुमताज 3. जैबुत पुत्री मुमताज 4. अजीज पुत्र मरियम 5. इन्स्याह अल्लाह पुत्र ईसाक 6. जैनब पुत्री ईसाक 7. जरीना पुत्री ईसाक 8. जरीना पुत्री मरियम 9. बिस्मिला पत्नि ईसाक 10. रूकसाना पुत्री मरियम 11. रूबिया पुत्री ईसाक 12. रहमत पुत्री ईसाक 13. हुसैन पुत्र ईशाक समस्त जाति देशवाली निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 14 तहसीलदार महोदय, डीडवाना

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

[illegible] दिनाँक **08.04.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना [illegible] है कि खेत खसरा सं0 117 रकबा [illegible] हल्का दादूबासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible]लिया, तहसील डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी संयुक्त खातेदारी सुदा खेत है। उक्त खेत खसरा नम्बर 117 में वर्तमान में मेरे खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामिली अनपरिस्थित। एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने क्रमांक/रीडर/2023/75 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार आवेदक के खेत खसरा सं0 117 रकबा 1.2200 हैक्टे0 भूमि में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतुं रास्ते की आवश्यकता है जो वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व आपसी सहमती से मौके पर खसरा संख्या 112 कि दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे पट्टिया रोपकर वैकल्पिक रास्ता चालू कर रखा है जिसे नया रास्ता घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया जाना है। जिसकी लम्बाई बिन्दु संख्या ABCD पर 110 मीटर व चौडाई 6.09 मीटर अर्थात् 20फिट कि गणना से उक्त प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 110 मीटर X 6.09 मीटर = 0.0670 है. बनता है। प्रार्थी के खेत की सीमा पर पहुंच जगह पर खसरा संख्या 111 रकबा 0.02 है. किस्म गै.मु.ढाणी रेकर्ड दर्ज होने के कारण उक्त स्थान पर रास्ता मोडकर ABCD बिन्दु पर नया रास्ता प्रस्तावित किया जाता है। खसरा संख्या 111 कि किस्म गै.मु.ढाणी अर्थात आवासीय दर्ज है परन्तु मौके पर भूमि रिक्त है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 112 की दक्षिणी सिंव के सहारे–सहारे मार्क ABCD प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 117 रकबा 1.2200 हैक्टे0 मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का दादूबारानी, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कोलिया, तहसील

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डीडवाना आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2023/75 दिनांक 24.01.2023 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 112 वाके सरहद अमरपुरा में दर्शित मार्क ABCD कुल 0.0670 हैक्टे0 रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से कर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः क्रमांक/रीडर/2023/75 दिनांक 24.01.2023 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 08.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested